विविध बैंक प्रकरण सं. 93/2020 (RCMS 2020/00248) पंजाब नेशनल बैंक, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी /मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक,एस.ए.एस.टी.आर.ए. कार्यालय, नदजीक सुखाड़िया सर्किल, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स न्यू पूजा जनरल स्टोर–प्रो. श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री राजाराम निवासी वार्ड नं. 03 नया, डिग्री कॉलेज, सूरतगढ एवं बीकानेर रोड, इंडियन गैस एजेन्सी के पीछे, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर 2. श्री राजू कालवा पुत्र श्री गणपतराम निवासी वार्ड नं 20 (नया), आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास, सूरतगढ, श्रीगंगानगर (राज.) 3. श्री राजाराम पुत्र श्री मोहन लाल निवासी वार्ड नं. 03 नया, डिग्री कॉलेज, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण मैसर्स न्यू पूजा जनरल स्टोर – प्रो. कांता देवी, राजू कालवा एवं राजाराम** को ऋण सुविधा के रूप में 11.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 28.08.2017 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजू कालवा की **आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 24(नया) (क्षेत्रफल 1020.68 वर्गफुट), पावर हाऊस के पीछे, सूरतगढ** को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित [illegible] नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.[illegible] को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी [illegible] के नाम दिनांक 31.[illegible] को 11,67,471/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्च[illegible] के ब्याज व अन्य ख[illegible]रिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.02.2019 को भिजवाये गये थे, जो Out of Delivery की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए इसलिए अप्रार्थीगण के नोटिस दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 07.03.2019 को प्रकाशित करवाये गये, जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी राजू कालवा **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 24(नया) (क्षेत्रफल 1020.68 वर्गफुट), पावर हाऊस के पीछे, सूरतगढ** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र दिनांक 05.11.2020 एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स न्यू पूजा जनरल स्टोर– प्रो. कांता देवी, राजू कालवा एवं राजाराम** को 11.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.08.2017 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजू कालवा की **आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 24(नया) (क्षेत्रफल 1020.68 वर्गफुट), पावर हाऊस के पीछे, सूरतगढ**, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी [illegible] खाता दिनांक **31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.**[illegible] **अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 18.02.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिनमें राजू कालवा का नोटिस बात तामील तथा शेष नोटिस Out of Delivery की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए। नोटिस की तामील न होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के आवासीय मकान पर नोटिस चस्पा किये गये और अप्रार्थीगण के नोटिस दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 07.03.2019 को भी प्रकाशित करवाये गये, जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों **मैसर्स न्यू पूजा जनरल स्टोर–प्रो. कांता देवी, राजू कालवा एवं राजाराम** को धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुके है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई **आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 24(नया) (क्षेत्रफल 1020.68 वर्गफुट), पावर हाऊस के पीछे, सूरतगढ** जो ऋणी राजू कालवा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.01.2019 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधा**[illegible] **धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है** [illegible] 18.02.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवा[illegible] जारी किये गये है जिनमें राजू कालवा का नोटिस बात तामील तथा शेष नो[illegible] Out of Delivery की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने के कारण नोटिस आवासीय मकान पर नोटिस चस्पा किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

तथा दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इंडियन एक्सप्रैस में दिनांक 07.03.2019 को प्रकाशित करवाये गये है, परिणास्वरूप समाचार पत्रों की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणी को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजू कालवा की **आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 24(नया) (क्षेत्रफल 1020.68 वर्गफुट), पावर हाऊस के पीछे, सूरतगढ**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, सूरतगढ का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी राजू कालवा द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं 24(नया) (क्षेत्रफल 1020.68 वर्गफुट), पावर हाऊस के पीछे, सूरतगढ**, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर